न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
कंकूबाई बनाम केसरबाई
GCMS No- 2023/67
प्रकरण संख्या –17 / 2023

...लय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 17 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 67

1. कंकुबाई पुत्री हरिराम जी पत्नी रामलाल जी जाति जाट निवासी कारूण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

..अपीलाण्ट

बनाम

1. केसरबाई बेवा हरिराम जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कारूण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. गोपीलाल गोदीपुत्र हरिराम जी जाईन्दा पुत्र प्रताप जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी कारूण्डा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. ग्राम पंचायत लसडावन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लसडावन
4. श्रीमान् तहसीलदार सा० एवं पदेन उपपंजीयक महोदय, निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा राज०

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 39 प0ह0 लसडावन स्वीकृत 12.09.1960 ग्राम पंचायत लसडावन, निम्बाहेडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम
नामान्तरकरण संख्या 39 निर्णय दिनांक 12.09.1960
अधिवक्ता अपीलाण्ट , श्री नरेन्द्र वैष्णव
अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 ,श्री योगेन्द्र सौलंकी

निर्णय

दिनांक 15.04.2024

1. **संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया की** अपीलाण्ट के पिता हरिराम पिता किशनलाल जी जाट निवासी कारूण्डा की खातेदारी की आराजीयात ग्राम कारूण्डा तह० निम्बाहेडा प०ह० कारूण्डा में पुरानी खाता सं० 95 की आराजी नं० 19 रकबा 8 बिघा 19 बिस्वा, आ०नं0 20 रकबा 15 बिस्वा, आ०नं0 267 रकबा 6 बिघा 12 बिस्वा, आ०नं0 495 रकबा 2 बिघा 17 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 1 विघा 2 विस्वा जिसके वर्तमान खाता सं0 64 के आराजी नं0 26 रकबा 2.2600 हेक्टेयर, एवं आ0नं0 27 रकबा 0.1900 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हेक्टेयर। इसी प्रकार खाता सं0 281 की आराजी नं0 25 रकबा 0.0500 हेक्टेयर गे.मु. चाह, इसी प्रकार खाता सं० 229 की आराजी नं0 801 रकबा 0.0800 हेक्टेयर गे. मु. चाह हैं। इसी प्रकार खातासं० 175 की आ0नं0 748 रकबा 0.0600 हेक्टेयर गे.मु.बाडा स्थित हैं।

2. उपरोक्त वर्णित आराजीयात अपीलाण्ट की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है, जिस पर अपीलाण्ट का रेस्पोंडेन्ट नं0 1 व 2 के साथ संयुक्त ... विवादग्रस्त आराजीयात अपीलाण्ट की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात है जो अपीलाण्ट ... हरिराम पिता किशनलाल जाट निवासी कारूण्डा के जमाने से चली आ रही ... अपीलाण्ट उनकी जाईन्दा पुत्री एवं रेस्पोंडेन्ट नं0 1 केसरबाई ... नं0 2 हरिराम जी ... पुत्र हैं। अपीलाण्ट के पिता हरिराम जी का स्वर्गवास हो गया है और अपीलाण्ट के पिता ... जी के स्वर्गवास के समय अपीलाण्ट एक वर्ष की नाबालिग पुत्री ... कर छोटी थी जो अपनी ... के संरक्षण में अपनी माता के साथ निवास कर रही थी तथा रेस्पोंडेन्ट नं0 2 जो हरिराम जी का गोदीपुत्र होकर छोटा व नाबालिग था, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हरिराम जी के समस्त वैध उत्तराधिकारी की बगैर जांच किये मनमकसूद तरीके से अपीलाण्ट उनकी जाईन्दा पुत्री होते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा नामान्तरकरण सं० 39 दिनांक 12.09.1960 को खोलते समय अकेले रेस्पोंडेन्ट नं० 1 नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जबकि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेन्ट नं0 2 हरिरामजी के वैध अधिकारी होकर जीवित हैं, जिनकी बगैर जांच किये जो नामान्तरकरण खोला वह निरस्ती योग्य अपीलाण्ट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी अभी हाल ही में पटवारी हल्का से नकल लेने पर और जानकारी होते ही यह अपील पेश की जा रही है जिसके ग्राउण्ड्स ऑफ आब्जेक्शन यह है के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया नामान्तकरण प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होने से निरस्ती योग्य है। अपीलाण्ट हरिराम जी की जाईन्दा पुत्री होकर हरिराम जी की वैध उत्तराधिकारी है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हरिराम जी के वैध उत्तराधिकारीयो की बगैर जांच किये हरिराम जी की एक मात्र वारिस रेस्पोंडेन्ट नं० 1 उनकी बेवा को बता कर जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलाण्ट हरिराम जी की जाईन्दा पुत्री होकर हरिराम जी की सम्पति पर रेस्पोंडेन्ट नं० 1 व 2 के साथ संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हरिराम जी के सभी वारिसान को विधिवत तौर से सुनवाई का कोई समुचित अवसर नहीं दिया और न ही किसी भी प्रकार की कोई वारिसान की जांच की और बगैर जांच किये मनमकसूद तरीके से रेस्पोंडेन्ट नं० 1 के नाम जो नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है वह नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तो के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है।

3. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पाडेन्ट को सूचना पत्र प्रेषित किए गए परंतु रेस्पोडेन्ट 1,3,4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे उन्हें तीन बार आवाज लगवाई गई परंतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली में उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 के अधिवक्ता श्री यागेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील अंदर शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावे।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट्स की पुश्तैनी पैतृक सम्पित है जो अपीलान्ट के पिता हरिराम पिता किशन लाल जाट के जमाने से चली आ रही है। अपीलान्ट हरिराम की जाईंदा पुत्री व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 हरिराम का गोदी पुत्र व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 केसरबाई उनकी माता है। हरिराम के देहान्त के समय अपीलान्ट नाबालिग व छोटी थी इसलिए उक्त नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा स्व0 हरिराम जी के विधिक वारीसान की बगैर जांच किए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 केसरबाई को स्व0 हरिराम जी की एकमात्र वारिस मानकर नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 12.09.1960 को खोला गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे और वादग्रस्त स्व0 हरिराम जी की सम्पित में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा है इसलिए उक्त नामान्तरण को निरस्त फरमाया जावे व वादग्रस्त सम्पित में वाके मौजा कारूण्डा के पुराने आराजी नम्बर 267 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये आराजी नम्बर 417 रकबा 0.01 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 418 रकबा 1.66 हैक्टेयर है तथा पुराने आराजी नम्बर 495 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 804 रकबा 0.71 हैक्टेयर उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा विक्रय कर देने से उक्त आराजी बाबत अपीलान्ट द्वारा कोई सहायता नहीं चाही गई है । शेष आराजी **आराजी नम्बर 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हैक्टेयर भूमि में, आराजी नम्बर 25 रकबा 0.0500 हैक्टयेर गे.मु.चाह, आराजी नम्बर 801 रकबा 0.08 हैक्टेयर गे.मु. चाह भमि व आराजी नम्बर 748 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में** अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के विधिक उत्तराधिकारी होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 12.09.1960 को निरस्त कर शेष आराजी का नामान्तरण उपरोक्तानुसार खोले जाने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा के नाम आदेश आदेश जारी किए जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:50 IST
Reason: SelfAttested

5. हमने बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपीलान्ट अपनी अपील के समर्थन में सरपंच, ग्राम पंचायत कारूण्डा का प्रमाण पत्र पेश किया,अपील के समर्थन में गवाह का शपथ पत्र जगन्नाथ पिता भागीरथ जाट 82 वर्ष, वरदीचन्द पिता अमरलाल जाट उम्र 73 वर्ष, भवरलाल पिता भेरूलाल जाट उम्र 65 वर्ष, गेहरीलाल पिता मथरालाल जाट उम्र 70 वर्ष के शपथ पत्र पेश किए व उक्त गवाहन द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

मेमो में वर्णित सभी तथ्यो को दाहराया है व अपीलान्ट कंकूबाई को स्व0 हरिराम जी की पुत्री होना माना है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वाग्रस्त आराजियात वाके मौजा कारूण्डा के ...ण संख्या 39 की सत्य प्रतिलिपी, मिलान क्षेत्रफल, पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 15 सम्वत् ...30–33, पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 71 सम्वत् 2030–33 ,पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 102 सम्वत् 2030–33, पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 95 सम्वत 2014–17, पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 49 की जमाबन्दी सम्वत् 2046–49 ,वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 175,229,281,64 की प्रतिया पेश की। उक्त सभी दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा ग्राम पंचायत कारूण्डा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व गवाहन के शपथ पत्र से अपीलान्ट स्व हरिराम जी की जाईन्दा पुत्री होना साबित होता है तथा रेस्पोडेन्ट क्रमांक 2 का उक्त नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 12.09.1960 की नामान्तरण नकल में केसर बाई द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 को नाबालिग होना स्वीकार किया गया है इस प्रकार के स्व0 हरिराम के वैध उतराधिकारी अपीलान्ट उनकी जाईन्दा पुत्री व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उनकी बेवा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 उनका गोदी पुत्र होना साबित पाया जाता है इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत लसडावन वर्तमान ग्राम पंचायत कारूण्डा की नामान्तरण संख्या 39 दिनांक 12.09.1960 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार निम्बाहेडा वाके मौजा कारूण्डा पटवार हल्का कारूण्डा तहसील निम्बाहेडा की वर्तमान आराजी नम्बर 26 रकबा 2.2600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 27 रकबा 0.1900 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.4500 हैक्टेयर भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा, आराजी नम्बर 25 रकबा 0.0500 हैक्टयेर गे.मु.चाह भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 केसर के दर्ज 1/2 हिस्से में से अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा , आराजी नम्बर 801 रकबा 0.08 हैक्टेयर गे.मु. चाह भमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 केसर के दर्ज 1/4 हिस्से में से अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा व आराजी नम्बर 748 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 केसर के दर्ज 1/5 हिस्से में से अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करे। बैंक रहन बदस्तुर रखाया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner